न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 214/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/264**
दायर दिनांक :– 04.11.2022 **निर्णय दिनांक :– 15.01.2025**

1. मीर मोहम्मद पुत्र समसदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
–वादी

बनाम

1- निहालदीन पुत्र समसदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2- न्याज मोहम्मद पुत्र समसदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3- अमीन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4- सलाम पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5- मुस्ताक पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6- इकबाल पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7- खलील पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8- जाकिर हुसैन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
9- सद्दाम हुसैन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
10- सिकन्दर पुत्र न्याजमोहम्मद जाति जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
11- शौकत पुत्र न्याजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
12- उम्मेदअली पुत्र न्याजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
13- बिलाल पुत्र न्याजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 124/409 रकबा 16.1874 हैक्टेयर ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही वादी के एकाकी खातेदारी की रही है। वादी के सिवाय वादग्रस्त काश्त भूमि में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था का कोई हक हिस्सा एवं हित नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक एवं झगड़ालू होने से वादी की भूमि पर जबरन बलपूर्वक दबाकर नाजायज कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.08.2022 को वादी की खातेदारी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिकारों कब्जा काश्त भूमि में अतिक्रमण कर जबरन बलपूर्वक दबाकर कब्जा करने की बदयान्ति से टेक्टर चलाकर काश्त कर ली तो वादी ने इस अपराध की प्राथमिकी पुलिस थाना बाप में दर्ज करवायी। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी में ही कच्चा आवास बनाकर अन्द बैठ गये। पानी का कुण्ड भी बना डाला, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी एवं जायज हक हासिल नहीं था। आज भी प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में ही बैठे हुवे है और अतिक्रमण कर बोई फसलों को भी काटकर उसका गलत उपयोग करेंगे। वादी दावेदार है तथा प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी हक हकूक वादग्रस्त भूमि पर किये गये नाजायज अतिक्रमण हटाकर बेदखल करवाने और कब्जा पाने का हकदार है। जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी मीरमोहम्मद के बयान पी.डब्लू–1 कलमबंद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता वादी और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है वादी साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी–1 खाता संख्या 210 ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार हल्का नुरे की भुर्ज की जमाबंदी सम्वत 2076–79 के अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 124/409 रकबा 16.1874 हैक्टेयर किस्म बारानी–4 का अभिलिखित काश्तकार है। वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जा के संबंध में फोटो ग्राफ पेश किये है जो प्रदर्श पी–4 है। प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी भूमि पर कच्ची ढाणी व टांका, बना दिया है जिसका उल्लेख वाद पत्र के संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बाप में भी किया है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 124/409 रकबा 16.1874 हैक्टेयर के अभिलिखित काश्तकार नहीं है और पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी, भू–नक्शा, फोटो ग्राफ व प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बाप अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण द्वारा कच्ची ढाणी व टांका बनाकर कब्जा कर रखा है अर्थात् प्रतिवादीगण ने अतिक्रमी की हैसियत से बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना विधिपूर्ण अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाये रखता है तो ऐसे अतिचारी को बेदखल किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि 124/409 रकबा 16.1874 हैक्टेयर सरहद मौजा भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नुरे की भुर्ज

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसील बाप में प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाये गई कच्ची ढाणी एवं टांका हटाये जावे एवं प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

15/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. मीर मोहम्मद पुत्र समसदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. निहालदीन पुत्र समसदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. न्याज मोहम्मद पुत्र समसदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. अमीन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. सलाम पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. मुस्ताक पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. इकबाल पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. खलील पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. जाकिर हुसैन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. सद्दाम हुसैन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. सिकन्दर पुत्र न्याजमोहम्मद जाति जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
11. शौकत पुत्र न्याजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
12. उम्मेदअली पुत्र न्याजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
13. बिलाल पुत्र न्याजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा संख्या :— 214/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल, पीठासीन अधिकारी व हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है तहसीलदार बाप को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि 124/409 रकबा 16.1874 हैक्टेयर सरहद मौजा भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप में प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाये गई कच्ची ढाणी एवं टांका हटाये जावे एवं प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।